




सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

परिवर्तित बजट 2019-2020



श्री अशोक गहलोत

मुख्यमंत्री

का

बजट भाषण

10 जुलाई, 2019

आषाढ शुक्ल ६, विक्रम संवत् २०७६

परिवर्तित बजट 2019 - 2020

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से, मैं राज्य के वर्ष 2019-20 के परिवर्तित बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2. बजट दस्तावेज प्रदेश की आर्थिक नीतियों का ऐसा आईना है, जिसमें जनता अपनी उम्मीदों और सपनों का प्रतिबिंब देखती है। यह बजट हमारे पंचवर्षीय विजन पर आधारित है।

3. राज्य की विषम परिस्थितियाँ यथा रेगिस्तान, जल की कमी, अनिश्चित मानसून एवं दूर-दराज की ढाणियों में बिखरी हुई आबादी हमारे लिए बड़ी चुनौती है। इस वजह से राज्य में सेवाओं की अदायगी की प्रति इकाई लागत अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। आगामी 5 वर्षों में विकास के लाभ से वंचित रहे समस्त आकांक्षी वर्गों तक पहुँचना, हमारी प्राथमिकता है। केन्द्रीय बजट में जनता को केवल यकीन करवाने का प्रयास किया गया है, तभी कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि—

यकीन से आगे भी बढ़ना है,
बहुत कुछ करके ऊँचाइयों पर चढ़ना है,
वो हवाओं की ओट में दीपक जलाते हैं,
हम तो तूफानों से टकराकर कारवाँ चलाते हैं।

4. देश, मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, की 150वीं जयंती मना रहा है। राष्ट्रपिता बापू के सिद्धांतों पर अमल करते हुए उनके सपनों को साकार करना ही उन्हें हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारी सरकार के विचार और व्यवहार दोनों में, ट्रस्टीशिप,

सामाजिक समरसता, कमजोर वर्ग का कल्याण, सुशासन तथा शांति एवं अहिंसा महत्वपूर्ण रहेंगे। हमारा दृढ़ विश्वास है कि हमें सार्वजनिक जीवन में ट्रस्टी के रूप में काम करना चाहिये।

5. मैं महसूस करता हूँ कि, बापू की 150वीं जयंती के आयोजनों को चुनावी व्यस्तताओं के कारण पूरे देश में व्यापक स्तर पर मनाने में कमी रही है। अतः इस आयोजन की अवधि को एक वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। देश में वर्तमान माहौल अशांति व हिंसा का बना हुआ है। इसी संदर्भ में शांति एवं अहिंसा के लिए राज्य में एक प्रकोष्ठ का गठन किया जा रहा है।

6. हमारी सरकार शुरू से ही सामाजिक न्याय, सर्वधर्म समभाव, गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास की प्रबल हिमायती रही है। हम सदैव अनुसूचित जाति-जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्गों सहित हाशिए पर खड़े लोगों के समग्र उत्थान के सिद्धांतों पर चले हैं।

7. यही सिद्धांत हमारे जन घोषणा पत्र-2018 के आधार-स्तंभ हैं। हम सच्चे सिद्धांतों की राजनीति करते आये हैं, असत्य व भ्रम की राजनीति नहीं करते हैं। हम आम आदमी के सपनों को समझते हैं और उसे साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। हम युवाओं की अपेक्षाओं को समझते हैं, इसलिए उन्हें अच्छी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार उपलब्ध करवाना, हमारी प्राथमिकता में है।

8. हमारी प्राथमिकताओं का पूरा ब्यौरा जन घोषणा पत्र में दर्ज है, जिसे हमने सरकारी कार्ययोजना का अंग बनाया है। इस कार्ययोजना को चरणबद्ध रूप से पूरा करने का दृढ़ निश्चय रहेगा।

9. यह बजट जनता का बजट है। हमने समाज के विभिन्न वर्गों से चर्चा करके, उनकी भावनाओं और बहुमूल्य सुझावों को इस बजट में शामिल करने का प्रयास किया है।

10. पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राजस्थान की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गई थी। हमारे पिछले कार्यकाल में कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण राज्य, वर्ष 2010–11 में Revenue Surplus की स्थिति में पहुंच गया था तथा वर्ष 2012–13 तक लगातार Revenue Surplus में ही रहा। गत सरकार की अविवेकपूर्ण नीतियों के कारण वर्ष 2018–19 में Revenue Deficit लगभग ₹ 29 हजार करोड़ तक पहुंच गया।

11. गत सरकार के पूर्ण कार्यकाल में Fiscal Deficit लगातार 3 प्रतिशत से अधिक रहा। यही नहीं, वर्ष 2015–16 में तो यह बढ़कर 9 प्रतिशत से भी अधिक रहा, जो कि गत सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन को दर्शाता है।

12. पिछली सरकार ने राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए अत्यधिक ऋण लिया, जिससे राज्य कर्ज के तले दब गया। जहां मार्च, 2014 के अंत में जब हमने शासन छोड़ा तब कर्ज तथा अन्य liabilities का कुल भार ₹ 1 लाख 29 हजार 910 करोड़ था, जो कि राज्य की GDP का 23.58 प्रतिशत था। इस प्रकार हमारी सरकार FRBM Act, 2005 द्वारा निर्धारित वित्तीय मानक 25 प्रतिशत के भीतर रखने में सफल रही, जबकि गत सरकार के समय में, वर्ष 2018–19 के संशोधित अनुमानों में यह बढ़कर ₹ 3 लाख 9 हजार 385 करोड़ तक पहुंच गया, जो कि राज्य की GDP का 33.47 प्रतिशत है।

13. गत सरकार द्वारा बिना सोचे समझे अत्यधिक ऋण लिए जाने से अब राज्य पर ब्याज भुगतान का भार अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया है। राज्य की

वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले भविष्य के प्रभाव का आकलन किये बिना ही उदय योजना लागू कर दी गई। उदय योजना में सरकार ने बिजली कम्पनियों के ₹62 हजार 422 करोड़ के कर्ज का भार अपने ऊपर ले लिया। इतना ही नहीं, जाते-जाते पूर्व सरकार ने लगभग ₹9 हजार करोड़ से अधिक के विभिन्न विभागों के कार्य चुनावी लाभ के लिए बिना बजट प्रावधान के ही स्वीकृत कर दिये। इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि—

उनके बेवजह, बे-बजट,
फिजूलखर्ची के बहुत किस्से हैं,
लगता है, इस बेपटरी गाड़ी को,
ठीक करना, मेरे ही हिस्से है।

14. हमने अपने पिछले कार्यकाल में कई अहम नीतिगत फैसले लिये थे। एक तरफ प्रदेश में पहली बार हम मैट्रो, रिफाईनरी, मेमू कोच फैक्ट्री एवं रेलवे लाईन से वंचित 3 जिलों बांसवाड़ा, टोंक तथा करौली के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना लाये, वहीं दूसरी तरफ हम निःशुल्क दवा एवं जांच योजना सहित खाद्य सुरक्षा, SC/ST/Minority/छात्रों/युवाओं/महिलाओं/वृद्धजन/मजदूर इत्यादि के उत्थान एवं पेंशन योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में सफल रहे। यह उसी का परिणाम था कि इस बार पुनः हमें प्रदेश की जनता की सेवा करने का अवसर मिला, और आपको विपक्ष में बैठने का। मैं, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने एवं जन घोषणा पत्र में किये गये वादों को फलीभूत करने की दिशा में माननीय सदन के सम्मुख हमारी कार्यनीति प्रस्तुत कर रहा हूँ।

कृषि:

15. राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार किसान है। आजादी के सात दशकों बाद भी खेती करना फायदे का सौदा नहीं माना जाता है। यह किसान का अदम्य साहस है कि वर्षा से लेकर व्यापार तक हर जगह वह संघर्ष करता है।

16. किसान की पहली चुनौती भूमि का उपजाऊपन और खेती के लिए आवश्यक गुणवत्तापूर्ण बीज-खाद एवं धनराशि की सही समय पर उपलब्धता है। किसान के लिए दूसरी बड़ी चुनौती खेती के लिए आवश्यक सिंचाई सुविधा, कीटनाशकों का प्रयोग एवं फसल की सुरक्षा है। और आखिर में किसान के लिए उपज को विपणन मंडी और भंडारण गृह तक पहुंचाना तथा उसका उचित मूल्य प्राप्त करना भी बड़ी चुनौती है। किसान के इस बहुआयामी संघर्ष से इत्तेफाक रखते हुए, मैं चाहूँगा कि हम 'Ease of Doing Farming' की दिशा में ठोस पहल करें।

17. किसान भाईयों के लिए 'Ease of Doing Business' की तर्ज पर 'Ease of Doing Farming' की ओर पहला बड़ा कदम उठाते हुए मैं ₹1 हजार करोड़ के एक 'कृषक कल्याण कोष' (K-3) के गठन की घोषणा करता हूँ। इस कोष को किसानों को उनके उत्पादों का यथोचित मूल्य दिलाने हेतु काम में लिया जायेगा।

18. 'खेती में जान तो सशक्त किसान' की सोच रखते हुए हम कृषि लागत को कम करने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हुए Zero Budget Natural Farming को प्रोत्साहित करेंगे। इस खेती में मूल रूप से पारंपरिक तरीके, कम सिंचाई एवं प्राकृतिक खाद का प्रयोग होता है। योजना का प्रारम्भ

बांसवाड़ा, टोंक एवं सिरोंही जिलों की 36 ग्राम पंचायतों के 20 हजार किसानों को शामिल करते हुए किया जायेगा। योजना में कार्यक्रम के प्रति जागरूकता लाने, प्राकृतिक खाद-बीज तैयार करने, प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर विजिट सम्बन्धी कार्य किये जायेंगे। इस हेतु ₹ 10 करोड़ का व्यय किया जायेगा।

19. राज्य में मांग के अनुरूप उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1 लाख मैट्रिक टन डीएपी एवं 2 लाख मैट्रिक टन यूरिया का अग्रिम भंडारण करवाया जायेगा।

20. उन्नत कृषि तकनीक को सहज एवं सरल तरीके से किसानों तक पहुंचाने के लिए 'कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम' के तहत कृषि खंड स्तर पर बहुपयोगी किसान मेलों, गोष्ठियों एवं प्रदर्शनियों का आयोजन किया जायेगा। इस पर ₹ 2 करोड़ का व्यय होगा।

21. राज्य में फव्वारा खेती एवं बूँद-बूँद सिंचाई को सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। इस दिशा में एक नई पहल करते हुए बूँद-बूँद सिंचाई के साथ फसलों को वांछित मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करने के लिए फर्टिगेशन, फोलियर उर्वरकीकरण तथा ड्रिप ऑटोमेशन की आधुनिक तकनीक इस्तेमाल की जायेगी।

22. राज्य में कृषि के लिए एक बहु उपयोगी Food Processing, व्यवसाय एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति बनायी जायेगी।

सहकारिता:

23. राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए फरवरी, 2019 से किसान सेवा पोर्टल शुरू किया है, जिसका अब तक लगभग 50 लाख किसान उपयोग कर चुके हैं। किसान इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न सरकारी

योजनाओं का लाभ एक ही जगह पर ऑनलाइन ले सकेंगे। साथ ही, यह पोर्टल सरकार के नीति निर्धारण में भी उपयोगी सिद्ध होगा।

24. मैं माननीय सदन को अवगत करवाना चाहूंगा कि पिछली सरकार द्वारा सहकारी बैंकों के किसानों का सिर्फ ₹ 50 हजार का अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया गया था। बाद में आनुपातिक रूप से शेष रहे किसानों को शामिल करते हुए गत सरकार ने ऋण माफी के पेटे ₹ 8 हजार करोड़ की माफी का ऐलान तो किया, परंतु केवल ₹ 2 हजार करोड़ ही उपलब्ध करवाये। हमारी सरकार ने एक तरफ शेष रहे ₹ 6 हजार करोड़ चुकाकर किसानों को ऋण माफी का पूरा लाभ दिया।

25. दूसरी तरफ 30 नवम्बर, 2018 तक किसानों के बकाया रहे ₹ 9 हजार 513 करोड़ के अल्पकालीन फसली ऋण भी माफ किये, इससे 20 लाख 46 हजार किसानों को ऋण माफी की राहत मिली। मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार द्वारा ₹ 2 लाख के मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन कृषि ऋण माफ करने से किसानों की 1 लाख 10 हजार बीघा भूमि रहन मुक्त हो गई है। वाणिज्यिक बैंकों आदि के ऋणी काश्तकारों को ऋण माफी की राहत पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय से संवाद प्रारंभ किया है। हमने बैंको द्वारा उद्योगपतियों एवं व्यापारियों के साथ किये जाने वाले one time settlement की तर्ज पर किसानों के साथ भी ऐसे settlement के जरिये ऋण माफी के लिए आग्रह किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम यह प्रक्रिया अपनाकर पात्र किसानों को लाभ दिलवायेंगे।

26. वर्ष 2019-20 में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को ₹ 16 हजार करोड़ के अल्पकालीन फसली ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित

किया गया है। हमने ही अपने पिछले कार्यकाल में ब्याज मुक्त ऋण योजना वर्ष 2012-13 में प्रारंभ की थी, मैं घोषणा करता हूँ कि योजना को यथावत रखते हुए किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा सहकारी बैंकों को ₹150 करोड़ की अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।

27. राज्य के 700 से अधिक GSS जहां भंडारण के लिए गोदाम नहीं हैं, उन सभी में चरणबद्ध रूप से गोदाम बनवाये जायेंगे। इस वर्ष 100 GSS एवं 20 KVSS में गोदामों का निर्माण करवाया जायेगा।

पशुपालन:

28. आगामी 5 वर्षों में राज्य की 1 हजार 478 ग्राम पंचायतों पर नवीन पशु चिकित्सा उप-केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं। इस वर्ष 400 नये उप-केन्द्र खोले जायेंगे। पशु चिकित्सालय निम्बार्क तीर्थ, सलेमाबाद-अजमेर को प्रथम श्रेणी चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।

29. जोधपुर में एक नवीन पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय खोला जायेगा।

30. इस वर्ष हमने गोपालन विभाग के बजट में 145 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। फिर भी, गौ-वंश संरक्षण हेतु गौशालाओं को दी जाने वाली राजकीय सहायता के अलावा और वित्तीय सम्बल प्रदान करने की आवश्यकता है। इस हेतु सरकार जनसहभागिता एवं CSR Funds के माध्यम से सहायता उपलब्ध करवाने की दिशा में आवश्यक कदम उठायेगी।

31. आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए प्रत्येक पंचायत समिति पर नन्दी-शालायें स्थापित की जायेंगी। वर्तमान में आवारा पशुओं के कारण खेती की बर्बादी के साथ-साथ दुर्घटनायें, जनधन एवं गौवंश की भी हानि होती है। हम चाहते हैं कि कोई आवारा पशु सड़क पर नहीं दिखे।

सार्वजनिक निर्माण:

32. सरकार द्वारा राज्य में आने वाले पांच सालों में सड़क तंत्र पर अनुमानतः ₹ 35 हजार करोड़ खर्च किये जायेंगे। इस वर्ष सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए कुल ₹ 6 हजार 37 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

33. राज्य के सड़क तन्त्र को विस्तारित, सुदृढ़ एवं विकसित करना हमारी प्राथमिकता है। हम छोटे से छोटे गांव को सड़क से जोड़ने, जनजाति, रेगिस्तानी इलाकों में गुणवत्तापूर्ण सड़कों एवं आवश्यकतानुसार ROB/RUB बनाने की दिशा में कार्य करेंगे। साथ ही, आगामी 5 वर्षों में हमारी प्राथमिकता मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों तक सुगम पहुंच एवं सड़क सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में रहेगी।

34. प्रदेश में डामर सड़क से वंचित 1 हजार 9 गांवों (500 से अधिक की आबादी) को जन घोषणा पत्र के अनुरूप आगामी चार वर्षों में ₹ 1 हजार करोड़ का व्यय कर सड़कों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में स्थित राज्य राज मार्ग एवं मुख्य जिला सड़कों का विशेष रख-रखाव किया जायेगा।

35. इस वर्ष जयपुर, चूरु, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, सीकर, बीकानेर व भीलवाड़ा जिलों के 435 किलोमीटर लम्बाई के 6 राज्य राजमार्गों को ₹ 927 करोड़ की लागत से विकसित किया जायेगा।

36. जन घोषणा पत्र में किये गये वादे के अनुरूप, हम एक लाख से अधिक कुल वाहन भार वाले समस्त फिजिबल रेलवे फाटकों पर रेल मंत्रालय के सहयोग से इस वर्ष 2 ROB एवं 32 RUB का निर्माण कार्य प्रारंभ करेंगे।

37. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1 हजार 600 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को नवीनीकृत किये जाने का कार्य प्रगति पर है। साथ ही, ₹250 करोड़ की लागत से 2 हजार 394 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को नवीनीकृत किया जायेगा।

38. राज्य के जनजाति एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में सड़कों का सुदृढ़करण एवं नवीनीकरण करने के लिए नाबार्ड योजना के तहत ₹337 करोड़ की लागत से 2 हजार 200 किलोमीटर की लंबाई में 531 कार्य प्रारंभ किये जायेंगे। राज्य के शेष जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस कार्य के लिए नाबार्ड योजना के तहत ₹463 करोड़ की लागत से 2 हजार 568 किलोमीटर लंबाई में 847 कार्य करवाये जायेंगे।

39. आज भी ग्राम पंचायतों के आबादी क्षेत्रों में अच्छी सड़कों का अभाव है। सरकार आने वाले पांच वर्षों में समस्त ग्राम पंचायतों को एक नया 'विकास पथ' उपलब्ध करवायेगी। इस योजना में कुल 10 हजार किलोमीटर लंबाई की सड़कें नाली सहित बनेंगी और जो wall-to-wall कवर करेगी।

ऊर्जा:

40. वर्ष 2019-20 में ऊर्जा विभाग के लिए कुल ₹30 हजार 170 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 11.41 प्रतिशत अधिक है।

41. प्रदेश में बिजली उत्पादन की भावी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हमने 10 वर्षीय कार्ययोजना बनायी है। हमने पिछले कार्यकाल में छबड़ा एवं सूरतगढ़ में सुपर क्रिटिकल विद्युत संयंत्रों का कार्य प्रारंभ किया था, जिसमें से छबड़ा में विद्युत उत्पादन शुरू किया जा चुका है तथा सूरतगढ़ परियोजना से इस वित्तीय वर्ष में विद्युत उत्पादन प्रारंभ किया जायेगा। हमारे पूर्व प्रयासों से 21 हजार 770 मेगावाट का विद्युत उत्पादन होने से आज राज्य विद्युत उत्पादन में सरप्लस हो गया है।

42. मुझे इस बात की पीड़ा है कि पिछली सरकार ने विद्युत उत्पादन के लिए नयी परियोजनाएं प्रारम्भ नहीं कीं, जिस वजह से वर्ष 2021-22 के बाद राज्य में विद्युत की मांग, उत्पादन से अधिक हो जायेगी। इसलिए हमारी सरकार एक विस्तृत कार्ययोजना बनाकर आगामी 7 वर्षों में परंपरागत स्रोतों से 6 हजार मेगावाट का अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता का विकास करेगी।

43. हमारी पिछली सरकार की सौर ऊर्जा नीति से राज्य में 3 हजार 424 मेगावाट एवं पवन ऊर्जा नीति से 4 हजार 310 मेगावाट क्षमता की परियोजनायें स्थापित हुईं। अब मैं राज्य में नवीन सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा नीति लाने की घोषणा करता हूँ।

44. राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की अपार संभावनायें हैं। यह समय की मांग है कि हम सब मिलकर इस ओर पूरी शिद्दत से कोशिश करें। मैं, सभी माननीय सदस्यों से पुरजोर आग्रह करता हूँ कि वे इसे जन आंदोलन बनाने के लिए नेतृत्व करें। हमारा सपना है कि प्रदेश के सभी घरों की छतों पर सौर पैनल लगें और हम अपने आने वाले कल की ऊर्जा जरूरतों को अक्षय ऊर्जा के माध्यम से ही पूरा करें।

45. राज्य के वितरण निगमों के वर्ष 2022-23 तक Renewable Purchase Obligation (RPO) के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 1 हजार 426 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा एवं 4 हजार 885 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की जायेगी।

46. राज्य में 33 केवी सब-स्टेशनों के समीप स्थित किसानों की अनुपयोगी भूमि पर सौर ऊर्जा के 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के कुल 2 हजार 600 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र आगामी तीन वर्षों में लगाये जायेंगे। इस वर्ष 600 मेगावाट के संयंत्रों का कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

47. बाड़मेर, जोधपुर एवं जैसलमेर में सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाओं को देखते हुए 765 केवी का एक ग्रीड सब-स्टेशन जोधपुर में स्थापित किया जायेगा एवं प्रदेश के अन्य जिलों में चरणबद्ध रूप से 220 केवी के तीन एवं 132 केवी के 13 ग्रीड सब-स्टेशनों का निर्माण करवाया जाएगा। इन पर लगभग ₹ 2 हजार 378 करोड़ के व्यय की संभावना है।

48. हमारी सरकार ने पूर्व में 1 लाख नवीन कृषि कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य घोषित किया था, जिसे इस वर्ष के अंत तक पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

49. प्रदेश में किसानों को 'कुसुम योजना' के तहत चरणबद्ध रूप से सौर पंप सेट उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस योजना से किसान को दिन में बिजली मिलेगी, बिल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा एवं किसान द्वारा अतिरिक्त बिजली ग्रीड में देने से उनकी आय भी होगी। यदि भारत सरकार ने योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सहायता समय रहते उपलब्ध करवायी तो इस योजना से अधिकतम किसान लाभान्वित हो सकेंगे।

50. किसानों को बिना व्यवधान अच्छी गुणवत्ता की बिजली उपलब्ध कराने के लिए आगामी चार वर्षों में कृषि कनेक्शनों के लिए पृथक् फीडरों की स्थापना हेतु ₹ 5 हजार 200 करोड़ की योजना प्रारंभ की जायेगी।

51. किसानों को रात्रि के स्थान पर दिन के दो ब्लॉकों में विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए आगामी तीन वर्षों में 33 केवी के सब-स्टेशनों पर 600 नये ट्रांसफार्मर स्थापित किये जायेंगे, जिस पर ₹ 500 करोड़ का व्यय होगा।

52. विद्युत वितरण निगमों में विद्युत छीजत को कम करने एवं मीटरिंग व बिलिंग व्यवस्था में सुधार के लिए चरणबद्ध रूप से स्मार्ट मीटर लगवाये जायेंगे। शहरी क्षेत्रों में energy audit के लिए 80 हजार Distribution Transformers पर स्मार्ट मीटर लगाये जायेंगे।

53. राज्य के दो धार्मिक नगरों, नाथद्वारा एवं पुष्कर में विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का कार्य किया जायेगा।

जल संसाधन एवं सिंचित क्षेत्र विकास:

54. वर्ष 2019-20 में जल संसाधन विभाग के लिए कुल ₹ 4 हजार 675 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

55. राजस्थान फीडर एवं सरहिन्द फीडर की मूल प्रवाह क्षमता पुनः स्थापित करने हेतु हमारी सरकार ने पंजाब एवं भारत सरकार के साथ IGNP नहर के जीर्णोद्धार हेतु MOU किया है। इससे सीपेज के नुकसान में कमी से जल की बचत होगी और आगामी पाँच सालों में अंतिम छोर तक किसानों को

पर्याप्त पानी मिल सकेगा। इस योजना हेतु ₹ 1 हजार 976 करोड़ 75 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसमें से इस वर्ष में ₹ 220 करोड़ 37 लाख खर्च होंगे।

56. इस वित्तीय वर्ष में 'राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना' द्वारा 22 हजार 831 हेक्टेयर water logged area (सेम क्षेत्र) को पुनः कृषि योग्य बनाने के लिए ₹ 207 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। साथ ही, इससे पाकिस्तान में जा रहे हमारे पानी को भी रोकना संभव हो सकेगा।

57. 'राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना' के तहत अब 13 जिलों—भरतपुर, धौलपुर, टोंक, पाली, सिरौही, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर में 29 सिंचाई उप-परियोजनाओं हेतु ₹ 262 करोड़ 40 लाख के जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ किये जायेंगे।

58. राज्य में कुल 211 बड़े बांध हैं। इनके जीर्णोद्धार, आधुनिकीकरण एवं सुरक्षा प्रबंधों हेतु बांध 'पुनर्वास एवं सुधार परियोजना' (DRIP) के प्रस्ताव तैयार कर केन्द्र सरकार को भेजे जायेंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना पर कुल ₹ 965 करोड़ का व्यय होना संभावित है, जिसके लिए बाह्य सहायता प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

59. राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए इस वर्ष 21 जिलों—बूंदी, बारां, कोटा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, पाली, सिरौही, नागौर, करौली, सीकर, सवाईमाधोपुर, जयपुर, धौलपुर, भरतपुर, टोंक, अजमेर एवं अलवर में ₹ 517 करोड़ के 55 कार्य शुरू किये जायेंगे।

60. IGNP के द्वितीय चरण में नाबार्ड के वित्तपोषण से ₹ 179 करोड़ का व्यय किया जायेगा। इसके तहत शहीद बीरबल शाखा प्रणाली में 368 किलोमीटर लंबाई के कार्यों से जैसलमेर तहसील के 25 हजार किसानों को फायदा मिलेगा। साथ ही, दातोर, नाचना, अवाई, साकडीया प्रणाली एवं मुख्य नहर से निकलने वाली सीधी नहरों की 480 किलोमीटर लंबाई के कार्य से तहसील बीकानेर, खाजूवाला, कोलायत एवं जैसलमेर के 25 हजार किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा मिलेगी।

61. चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट नहर का सिंचित क्षेत्र 1 लाख 12 हजार हेक्टेयर निर्धारित है, परन्तु वास्तव में अब तक केवल 92 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। किसानों की आवश्यकता एवं मांग को देखते हुए तारानगर सहित शेष रहे 20 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में भी सिंचाई सुविधा विकसित करने के लिए योजना लायी जायेगी।

पेयजल:

62. वित्तीय वर्ष 2019-20 में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए कुल ₹ 8 हजार 445 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

63. राज्य के फ्लोराईड प्रभावित 1 हजार 250 नये गांव-ढाणियों में चरणबद्ध रूप से सौर ऊर्जा चलित डिफ्लोरीडेशन यूनिट लगाकर समस्या का निराकरण किया जायेगा।

64. राज्य में पेयजल की सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यकतानुसार चरणबद्ध तरीके से सौर ऊर्जा चलित टैंक सहित tube well स्वीकृत किये जायेंगे, जिन पर ₹ 200 करोड़ का व्यय होगा।

65. राज्य में 4 हजार या अधिक जनसंख्या वाले 390 वंचित गांवों को पीने के पानी के लिए पाईप लाईन से जोड़ा जायेगा। इस वर्ष DPR तैयार कर 25 योजनाओं में कार्य करवाया जायेगा। योजना की कुल लागत ₹950 करोड़ होगी।

66. हमने वर्ष 2013-14 के बजट में बाड़मेर जिले की चौहटन तहसील के 322 गांवों, गुड़ामलानी तथा शिव तहसीलों के 345 गांवों को नर्मदा नहर से लाभान्वित करने के लिए ₹490 करोड़ की लागत से परियोजना की घोषणा की थी जिसमें से शिव एवं रामसर तहसील के 205 गांवों की पेयजल योजना पर ही काम शुरू हो पाया, शेष योजनाओं को पूर्ववर्ती सरकार ने निरस्त कर दिया। अब हम इस कार्य को पुनः हाथ में लेते हुए आगामी वर्षों में ₹2 हजार 918 करोड़ की लागत से 5 परियोजनायें प्रारम्भ करेंगे, जिससे 2 शहर—उदयपुरवाटी एवं सूरजगढ़ (झुंझुनूं), 921 गांव एवं 573 ढाणियां लाभान्वित होंगी।

67. मैं, जोधपुर, बाड़मेर तथा पाली जिलों को राजीव गांधी लिफ्ट केनाल के तृतीय चरण से पांच कस्बों एवं तीनों जिलों के 2 हजार 104 गांवों की 75 लाख आबादी के लिए पेयजल की मांग की पूर्ति हेतु नवीन परियोजना की घोषणा करता हूँ। ADB से वित्त पोषित इस परियोजना की कुल लागत ₹1 हजार 454 करोड़ होगी।

68. अलवर, भरतपुर, धौलपुर तथा सवाईमाधोपुर जिलों में पेयजल आपूर्ति हेतु आगामी वर्षों में निम्न परियोजनायें प्राथमिकता से पूरी की जायेंगी:—

- चंबल—अलवर पेयजल परियोजना से अलवर, भरतपुर तथा धौलपुर जिलों के 14 कस्बों एवं 3 हजार 72 गांवों में चंबल नदी से ₹4 हजार 718 करोड़ की लागत से पेयजल आपूर्ति परियोजना।

- दौसा तथा सवाईमाधोपुर जिलों के 5 कस्बों एवं 124 गांवों को ईसरदा बांध द्वारा ₹3 हजार 159 करोड़ की लागत से पेयजल आपूर्ति परियोजना।
- Eastern Rajasthan Canal Project एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। जिसकी लागत ₹37 हजार करोड़ से अधिक है। राज्य सरकार द्वारा राज्य में पानी की कमी एवं भौगोलिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए केन्द्र सरकार से इस परियोजना को national project का दर्जा देकर इसके क्रियान्वयन में अपेक्षित भूमिका निभाने की पुरजोर अपील की गयी है। योजना के क्रियान्वयन हेतु अपनी हिस्सेदारी के लिए मेरी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

69. नागौर लिफ्ट पेयजल परियोजना के प्रथम चरण से वंचित रही पंचायत समिति लाडनूं, कुचामन, डेगाना, जायल, मेड़ता, रिया, खीवसर, मूंडवा तथा नागौर की कुल 1 हजार 926 ढाणियों में रहने वाली 3 लाख 15 हजार की आबादी को लाभान्वित करने के लिए परियोजना स्वीकृत की जायेगी।

70. नागौर जिले के मेड़ता शहर, डेगाना एवं लाडनूं में पेयजल distribution system के पुनर्गठन हेतु ₹45 करोड़ की लागत से परियोजना प्रारम्भ कर 1 लाख की आबादी को लाभान्वित किया जायेगा।

71. बीकानेर शहर में पेयजल संग्रहण की क्षमता के मद्देनजर शहर एवं आस-पास के 32 गांवों की पेयजल व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु नई

परियोजना तैयार कर 11 लाख 40 हजार की आबादी को लाभान्वित किया जायेगा।

72. चंबल भीलवाड़ा के आरौली WTP से जोड़कर हिण्डौली सहित शेष रहे क्षेत्र को पेयजल पहुंचाने हेतु ₹ 650 करोड़ की लागत की परियोजना की DPR बनाई जायेगी।

73. जोधपुर के दांतीवाड़ा IGNP वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जलाशय से समीपवर्ती पाली जिले की सोजत तहसील की 10 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जायेगा। उसी प्रकार जवाई बांध से शिवगंज ग्रामीण क्षेत्र के लिए पेयजल योजना के सर्वे हेतु एक DPR बनाई जायेगी।

उद्योग :

74. औद्योगिक निवेश और रोजगार के नये अवसर सृजित करने के लिए रीको द्वारा जयपुर, जोधपुर, कोटा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, नागौर, दौसा एवं सिरौही जिलों में नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जायेगी।

75. NGT द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों की पालना में सरकार वर्तमान CETPs के upgradation और नये CETPs की स्थापना हेतु रीको एवं प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की सहभागिता से नई योजना बनायेगी।

MSME:

76. जैसाकि सदन के माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि उद्यम स्थापना की प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाने के लिए नया कानून बना दिया गया है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य

बन गया है, जो उद्यमियों को बिना किसी परेशानी के 3 वर्ष तक विभिन्न स्वीकृतियों एवं निरीक्षणों से मुक्त रखकर ease of doing business को साकार कर रहा है।

77. उद्यमों को प्रतिस्पर्धा योग्य बनाने के लिए मैं 'मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना' की घोषणा करता हूँ, जिसमें ₹10 करोड़ तक के ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जायेगा। इसमें स्वयंसहायता समूहों को भी सम्मिलित किया जायेगा। इसके लिए वर्ष 2019-20 में ₹50 करोड़ एवं 5 वर्षों में ₹250 करोड़ का प्रावधान किया जायेगा। नवीन योजना के तहत सहकारी क्षेत्र से जुड़े बुनकरों को एक लाख तक के ऋण पर ब्याज का पूर्ण भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

78. राज्य की खादी संस्थाओं को दस साल हेतु ₹3 करोड़ का revolving fund उपलब्ध करवाया गया था, जिसकी राशि बढ़ाकर 10 करोड़ करते हुए, अवधि दस वर्ष बढ़ाई जाती है।

पैट्रोलियम एवं खनिज:

79. सरकार ने पचपदरा (बाड़मेर) रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल काम्पलेक्स परियोजना को अक्टूबर 2022 तक पूरा करने के निर्देश दिये हैं। मैं इस पर आधारित प्लास्टिक, रबर, डिटर्जेंट, फाईबर, ल्यूब्रिकेंट, डार्ई, ड्रग्स, पेस्टिसाईड्स, पेंट, कॉस्मेटिक्स आदि उद्योगों को राज्य में स्थापित करने के उद्देश्य से रीको द्वारा Integrated Industrial Zone विकसित किये जाने की घोषणा करता हूँ। इससे बाड़मेर-जोधपुर सहित राजस्थान के हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

80. न्यायालय के आदेशों से बजरी खनन पर प्रतिबंध है। इस समय ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जिसके कारण अवैध खनन बढ़ गया है। इससे राज्य में बजरी माफिया पनप गये हैं। पिछली सरकार ने अवैध खनन रोकने की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की।

81. भ्रष्टाचार की इस बहती गंगा में ईमानदार लोग भी भ्रष्ट हो गये हैं। यह गंगा किसने बहायी, यह जांच का विषय है। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही न्यायालय से इस समस्या का समाधान होगा। तब तक बाजार में बजरी उपलब्ध रहे, इसके लिए तात्कालिक समाधान ढूँढ़ने के साथ-साथ दीर्घकालीन विकल्प के रूप में manufactured sand को बढ़ावा देने के लिए 'राजस्थान एम-सैंड नीति, 2019' लायी जायेगी।

82. जन घोषणा पत्र में अंकित संकल्प के अनुसार राजस्थान खनिज नीति, 2015 की समीक्षा कर अप्रधान खनिज के नियमों का सरलीकरण किया जायेगा। साथ ही, अवैध खनन एवं निर्गम पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सतर्कता शाखा का पुनर्गठन किया जायेगा।

83. राजस्थान राज्य बाड़मेर में तेल का उत्पादन होने के बाद देश में बाम्बे हाई के बाद दूसरा अग्रणी तेल उत्पादक क्षेत्र बन गया है। बाड़मेर क्षेत्र में 7.0 मिलियन टन से अधिक खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन होता है जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 24 प्रतिशत है। हमारे प्रयासों से केन्द्र सरकार ने राज्य को 10 ब्लॉक आवंटित किये हैं, जिससे तेल उत्पादन होने पर राज्य को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी।

परिवहन:

84. वाहन प्रदूषण में कमी लाने तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु सार्वजनिक परिवहन के साधनों में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्राथमिकता दी जायेगी एवं इसके लिए 'इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति' लायी जायेगी।

85. सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सड़क सुरक्षा निधि से पुलिस विभाग को उपकरण, चिकित्सा विभाग को trauma centre, trauma stabilization unit एवं skill lab आदि की स्थापना के कार्य करवाये जायेंगे।

86. प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिसमें लगभग 10 हजार से ज्यादा लोगों को प्रतिवर्ष जान से हाथ धोना पड़ रहा है। मैं सदन के सभी सदस्यों से ये आग्रह करता हूँ कि रोड सेफ्टि के बारे में हमें जागरूक होकर अपनी भूमिका निभानी चाहिये। दुर्घटनाओं की इस विकराल त्रासदी को देखते हुए मंत्रियों का एक समूह बनाया जायेगा, जो समस्या के निदान हेतु सुझाव देगा।

स्थानीय निकाय/स्वायत्त शासन एवं शहरी विकास:

87. कई कारणों से आवासन मण्डल द्वारा निर्मित मकानों का समय रहते बेचान नहीं हो पा रहा है। आवासन मंडल द्वारा ऐसे मकानों पर अब तक की सबसे बड़ी 50 प्रतिशत तक की छूट देकर नीलामी करवायी जायेगी।

88. जयपुर की मेट्रो प्रथम चरण—बी का कार्य शीघ्र ही पूर्ण किया जाकर इस वित्तीय वर्ष के अंत तक wall city में मेट्रो सेवा प्रारम्भ होने जा रही है। मेट्रो नेटवर्क के विस्तार हेतु ₹ 13 हजार करोड़ की लागत से द्वितीय चरण की संशोधित DPR बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

89. जयपुर शहर के डेलावास स्थित STP संयन्त्रों का Upgradation और 70 MLD क्षमता के नये संयंत्र ₹ 150 करोड़ की लागत से प्रारम्भ किये जायेंगे।

90. कोटा शहर में ₹ 400 करोड़ की लागत से चम्बल रिवर फ्रन्ट के विकास हेतु ₹ 5 करोड़ की लागत से DPR बनाई जायेगी।

91. जनता की मांग पर भीलवाड़ा शहर में कोठारी नदी पर हाई लेवल ब्रिज का कार्य ₹ 40 करोड़ की लागत से प्रारम्भ करवाया जायेगा। साथ ही, शहर को 200 फीट रिंग रोड से मिलाने के लिए जोधडास चौराहे पर ₹ 50 करोड़ की लागत से ROB का निर्माण कार्य किया जायेगा।

92. उदयपुर शहर की ट्रैफिक समस्या के समाधान हेतु एक समग्र DPR बनाकर इस वित्तीय वर्ष में ₹ 50 करोड़ के कार्य प्रारम्भ करवाये जायेंगे।

93. हमने जयपुर शहर में India International Centre, New Delhi की तर्ज पर वर्ष 2013 में एक सेंटर बनाने की योजना बनाई परन्तु वह सेंटर पूर्ववर्ती सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं था। अब इस कार्य को जल्दी पूरा करने के लिए ₹ 20 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

94. इस वर्ष जोधपुर शहर में महामंदिर-पावटा रोड, सोजतीगेट होते हुए आंखलिया चौराहे तक एलिवेटेड रोड बनाने के लिए DPR तैयार करवायी जायेगी। जोधपुर में सहारण नगर से बनाड़ तक रेलवे लाईन के बाईं ओर 100 फीट की सड़क बनाकर जोजरी नदी से पहले ROB के निर्माण हेतु DPR बनवायी जायेगी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य:

95. नागरिकों को अपने निवास के नजदीक तत्काल एवं निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य में मौहल्ले/गली में जनता क्लिनिक खोले जायेंगे। इन क्लिनिकों में निःशुल्क दवा योजना की दवाएं उपलब्ध करवायी जायेंगी तथा यह किसी दानदाता या समाजसेवी द्वारा उपलब्ध करवाये गये भवन में खुलेगा। इस दिशा में विस्तृत गाइडलाइन्स जारी की जायेंगी।

96. गरीब-निर्धन को निःशुल्क ईलाज की सुविधा प्रदान करने के लिए हमने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा और जांच योजना प्रारंभ की थी। मुझे इस बात की पीड़ा है कि ये योजनायें पिछली सरकार की प्राथमिकता में नहीं रही। इस योजना में अभी 608 दवाईयां निःशुल्क दी जा रही हैं, अब मैं किडनी, हॉर्ट एवं कैंसर जैसे गंभीर रोगों की दवाओं सहित कुल 104 प्रकार की नई दवायें शामिल करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही, मैं, मेडिकल कालेज से संबद्ध अस्पतालों में निःशुल्क होने वाली जांचों की संख्या 70 से बढ़ाकर 90 किये जाने की घोषणा करता हूँ।

97. वर्तमान में जयपुर के SMS Hospital में वरिष्ठ नागरिकों एवं बीपीएल परिवारों हेतु सीटी स्कैन एवं एमआरआई की निःशुल्क जांच सुविधा उपलब्ध है। इस मॉडल को अब प्रदेश के शेष मेडिकल कालेजों के अस्पतालों में भी लागू किया जायेगा।

98. प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार एवं विस्तार के दृष्टिगत—

- राज्य में 200 नये स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोले जायेंगे।
- राज्य में 5 नये ट्रोमा सेंटर खोले जायेंगे।

- राज्य में 50 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे।
- राज्य में 10 स्वास्थ्य उप केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- राज्य में 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- राज्य के विभिन्न अस्पतालों में कुल 500 बैड (शैय्या वृद्धि) बढ़ाये जायेंगे।
- गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर के वर्तमान चिकित्सालय को क्रमोन्नत किया जायेगा।

99. राज्य की शिशु मृत्युदर में तीन अंकों की कमी आयी है, जो एक उपलब्धि है। शिशु मृत्युदर में कमी लाने के उद्देश्य से राज्य के चिकित्सा संस्थानों में जन्म लेने वाली सभी नवजात बालिकाओं को 'इन्दिरा प्रियदर्शिनी बेबीकिट' उपलब्ध करवाये जायेंगे।

100. युवाओं में पान मसाला—गुटका खाने की लत से स्वास्थ्य को हानि होती है। घटिया सामग्री की बिक्री को नियंत्रित कर, चोरी के माल की बिक्री पर सख्ती बरतते हुए इस पर पूरी तरह रोक लगाने की कार्ययोजना बनायी जायेगी।

101. राजकीय चिकित्सालय, कुचामनसिटी (नागौर) में ब्लड बैंक की स्थापना की जायेगी।

चिकित्सा शिक्षा:

102. जोधपुर में कैंसर रोगियों के उपचार हेतु ₹ 31 करोड़ की लागत से लीनियर एक्सेलेटर मशीन की स्थापना की जायेगी। साथ ही, मथुरादास माथुर

चिकित्सालय, जोधपुर में मल्टी स्टोरी आईसीयू वार्ड का चरणबद्ध रूप से निर्माण किया जायेगा।

103. बीकानेर मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल में प्रसूताओं को दर्द रहित प्रसव सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए नवीन यूनिट प्रारंभ की जायेगी।

104. श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ के ग्रामीण एवं दूरदराज के सीमावर्ती क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए हमने मेडिकल कालेज खोलने का निर्णय लिया एवं मेरे द्वारा उसका शिलान्यास भी कर दिया गया था परन्तु पिछली सरकार द्वारा इसका कार्य रोक दिया गया। अब मैं श्रीगंगानगर में पुनः मेडिकल कालेज का कार्य प्रारम्भ करने की घोषणा करता हूँ।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज:

105. महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को पूरे विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाने का निर्णय लिया गया है। हम युवा पीढ़ी को गांधी दर्शन से परिचित कराने के लिए संस्थागत प्रयास करना चाहते हैं, जहां निरंतर प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रम चलते रहें। साथ ही, अहमदाबाद, गुजरात स्थित साबरमती आश्रम एवं वर्धा, महाराष्ट्र स्थित सेवाग्राम आश्रम की तर्ज पर एक ऐसे परिसर का निर्माण किया जाये, जहां आकर गांधी दर्शन से रूबरू होने के साथ-साथ शांतिमय माहौल में गांधी जी के संदेश का सुकून मिल सके। इस उद्देश्य से ₹50 करोड़ की लागत से जयपुर में 'महात्मा गांधी संस्थान' की स्थापना की जायेगी। साथ ही, आने वाली पीढ़ियों को महात्मा गांधी के जीवन मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से इस केन्द्र में भव्य 'गांधी दर्शन म्यूजियम' बनाया जायेगा।

जनता में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने, परंपरागत पेयजल स्रोतों को पुनः जीवित करने, नवीन स्रोतों के निर्माण एवं सघन वृक्षारोपण के लिए मैं 'राजीव गांधी जल संचय योजना' प्रारंभ करने की घोषणा करता हूँ।

106. नियोजित विकास में मास्टर प्लान की अहमियत को समझते हुए प्रदेश के गांवों में मास्टर प्लान बनाये जायेंगे, जिसमें भविष्य के लिए क्षेत्र की शिक्षा, स्वास्थ्य, आबादी विस्तार, खेल सुविधायें, पार्क, सरकारी भवनों, सड़क एवं अन्य विकास की आवश्यकताओं का आकलन करके भूमि का चिन्हिकरण पटवारियों के सहयोग से किया जायेगा। प्रदेश के नगरपालिका एवं नगर परिषद् मुख्यालयों को छोड़कर शेष सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर 'अम्बेडकर भवन' बनाया जायेगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता:

107. सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जरूरत मंद को सीधी मदद होती है। हमारी सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा एवं निशक्त पेंशन बढ़ाने का कल्याणकारी निर्णय लिया है। आम जनता ने पेंशन ₹ 500 से बढ़ाकर ₹ 750 एवं ₹ 750 से बढ़ाकर ₹ 1 हजार किये जाने का खुले मन से स्वागत किया है। इस बढ़ोतरी से 62 लाख से अधिक पेंशनरों को लाभ मिला है। साथ ही, हमारी सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों को मिल रही पेंशन को बढ़ाते हुए उनको भी लाभ प्रदान किया है। विभाग का वार्षिक प्रावधान 51 प्रतिशत बढ़ाकर ₹ 8 हजार 970 करोड़ करना सरकार की संवेदनशीलता का परिचायक है।

108. 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पालनहार योजना के लाभार्थियों को आवास सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से एक नवीन आवासीय पालनहार छात्रावास की स्थापना की घोषणा करता हूँ।

109. विशेष योग्यजनों की समस्याओं के समाधान तथा उन्हें समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी दिये जाने हेतु हैल्प लाइन की स्थापना की जायेगी।

110. मूक-बधिर बच्चों को सांकेतिक भाषा जानने वाले दुभाषियों की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 200 कार्मिकों को 3 माह का प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा। राज्य का पहला ट्रेनिंग सेंटर जामडोली, जयपुर में खोला जायेगा।

111. मानसिक रूग्णता वाले ऐसे व्यक्ति जो अस्पताल में ठीक हो गये हैं, लेकिन विभिन्न कारणों से अपने घर नहीं लौट पाते हैं, उनके पुनर्वास हेतु जयपुर व जोधपुर में 50-50 की क्षमता के हॉफ-वे-होम की स्थापना की जायेगी। हॉफ-वे-होम में चिकित्सा कर्मियों द्वारा उनकी नियमित देखभाल की जायेगी।

112. राजस्थान खनिजों से भरपूर राज्य है परन्तु यहां अभी भी ज्यादातर खनन अवैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। इससे पर्यावरण के साथ-साथ खनन श्रमिकों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और दुर्घटनाएं होती हैं। अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों के कारण श्रमिक सिलिकोसिस जैसी असाध्य बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। श्रमिकों के स्वास्थ्य हितों एवं खनन प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा के दृष्टिगत एक नयी सिलिकोसिस नीति बनाकर सरकार न सिर्फ श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करेगी वरन् खनन मालिकों को ऐसे श्रमिकों हेतु उचित प्रबन्ध करने के लिए पाबंद भी किया जायेगा। आवश्यकता हुई तो सरकार इस दिशा में एक नया कानून लेकर आयेगी।

113. भिक्षावृत्ति एक सामाजिक अभिशाप है। इस कुरीति को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने 'भिक्षावृत्ति उन्मूलन अधिनियम, 2012' लागू किया था। परन्तु गत सरकार ने इस कुरीति के उन्मूलन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अब हम अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग करते हुए सबसे पहले जयपुर को भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बनायेंगे।

114. राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यकों के बीपीएल परिवारों में होने वाले विवाह के वक्त आर्थिक सम्बल देने की दृष्टि से राज्य में 'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' चलायी जायेगी। जिसके तहत पात्र कन्याओं को ₹21 हजार की सहायता हथलेवा के रूप में प्रदान की जायेगी। इस योजना में आठवीं पास वयस्क बालिका ही सहायता की पात्र होगी।

अल्पसंख्यक:

115. अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए जिला अलवर में राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास शीघ्र ही प्रारम्भ किया जायेगा।

116. हमने गत कार्यकाल में मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत भवन निर्माण पर अनुदान देकर एक अच्छी पहल की थी। मदरसों में कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लास रूम जैसी सुविधायें विकसित करने हेतु मैं, इस योजना को पुनः प्रभावी बनाने की घोषणा करता हूँ। इस हेतु ₹10 करोड़ का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

जनजाति विकास:

117. जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु सागवाड़ा एवं

उदयपुर में दो उत्कृष्ट कोचिंग सेन्टर खोले जायेंगे। साथ ही, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एवं व्यक्तित्व विकास हेतु जयपुर में ₹10 करोड़ की लागत से करियर काउंसलिंग सेंटर प्रारंभ किया जायेगा।

118. जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में हरिदेव जोशी केनाल एवं भीखाभाई नहर तंत्र के विकास हेतु एवं अन्य जल संग्रहण ढांचे तथा सिंचाई नहरों के रख-रखाव एवं विस्तार कार्यों पर ₹25 करोड़ का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

119. बेणेश्वर धाम बारिश में सोम, जाखम एवं माही नदियों के प्रवाह के कारण टापू-सा बन जाता है। इस समस्या के समाधान हेतु बेणेश्वर धाम में डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले को जोड़ने वाली नदी पर हाईलेवल पुल निर्माण हेतु ₹1 करोड़ की लागत से DPR तैयार करवायी जायेगी।

महिला एवं बाल विकास:

120. महिलाओं के बहुआयामी सशक्तिकरण के लिए मैं ₹1 हजार करोड़ की 'प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि' की घोषणा करता हूँ। इस निधि से महिलाओं को उद्यम स्थापना हेतु सहयोग, आधुनिक अनुसंधान हेतु सहायता, कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण, awareness हेतु शिक्षा तथा पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास सम्बन्धी गतिविधियाँ सम्पादित की जायेंगी।

121. राज्य में बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए तैयार करने हेतु कक्षा 6 से 12 तक के समस्त राजकीय स्कूलों में शारीरिक आत्मरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य किया जायेगा।

122. मैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय ₹6000/- से बढ़ाकर रूपए 7500/- करने, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय ₹4500 से

बढ़ाकर ₹ 5750/— एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय ₹ 3500/— से बढ़ाकर ₹ 4250/— किये जाने की घोषणा करता हूँ।

123. आंगनबाड़ी केन्द्रों से मिलने वाले पूरक पोषाहार के वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए जयपुर जिले के चाकसू ब्लॉक में पोस टर्मिनल (POS Terminal) मशीन के उपयोग हेतु पॉयलट प्रोजेक्ट शुरू किया जायेगा।

शिक्षा:

124. राजकीय विद्यालयों में चरणबद्ध रूप से आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु 'सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यालय सुदृढीकरण योजना' के अन्तर्गत 14 हजार से अधिक अतिरिक्त कक्षा—कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि कक्षों, 23 नवीन भवनों के निर्माण तथा 83 भवनों की वृहद् मरम्मत के कार्य करवाये जायेंगे। इस पर वर्ष 2019–20 में ₹ 1 हजार 581 करोड़ खर्च होंगे।

125. शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवीनतम प्रयोगों, विकास, नवाचारों आदि को ध्यान में रखते हुए हम राज्य के लिए एक नवीन शिक्षा नीति बनायेंगे।

126. शाला—दर्पण पोर्टल को और विकसित करते हुए शिक्षकों के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों, स्थानान्तरण प्रार्थनाओं/परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए 'Staff Window' एवं आम नागरिकों के सुझावों के लिए 'Citizen Window' प्रारम्भ की जायेगी।

127. इस वित्तीय वर्ष में 50 नये प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे। साथ ही, 60 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक में, 100 उच्च प्राथमिक को माध्यमिक विद्यालय में एवं 500 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा:

128. प्रतिभावान दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए 'मुख्यमन्त्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना' प्रारम्भ की जायेगी।

129. हमारे द्वारा वर्ष 2013 में राज्याधीन किये गए 5 स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों—महाराणा प्रताप महाविद्यालय—रावतभाटा (चित्तौड़गढ़), शहीद रूपाजी करपाजी महाविद्यालय—बेंगू (चित्तौड़गढ़), भगवान आदिनाथ जयराज मारवाड़ा महाविद्यालय—नैनवा (बूँदी), आईमाता महाविद्यालय—सोजत सिटी (पाली), श्री प्रेमसिंह सिंघवी महाविद्यालय—छीपाबड़ौद (बारां) एवं तीन निजी महाविद्यालयों—मीरा कन्या महाविद्यालय—संगरिया, ज्ञानज्योति महाविद्यालय—करणपुर एवं शहीद भगतसिंह महाविद्यालय—रायसिंह नगर (श्रीगंगानगर) को गत सरकार द्वारा de-notify कर दिया गया था। मैं इन 8 महाविद्यालयों को पुनः राजकीय क्षेत्र में प्रारम्भ करने की घोषणा करता हूँ।

130. प्रदेश में शराबबंदी जैसे पवित्र उद्देश्य के लिये अनशन करते हुए अपने प्राण त्यागने वाले स्व. श्री गुरुशरण छाबड़ा की स्मृति में मैं, राजकीय महाविद्यालय, सूरतगढ़—श्रीगंगानगर का नामकरण 'स्व. श्री गुरुशरण छाबड़ा राजकीय महाविद्यालय, सूरतगढ़' किये जाने की घोषणा करता हूँ।

131. वर्तमान में महाविद्यालय से वंचित रहे उपखण्ड मुख्यालयों पर संभावनाओं के परीक्षण हेतु नई नीति लाकर चरणबद्ध तरीके से महाविद्यालय खोले जायेंगे। जिला जालौर के सांचौर, जिला भरतपुर के पहाड़ी एवं जिला

भीलवाड़ा के जहाजपुर में राजकीय महाविद्यालयों को पिछली सरकार ने घोषणा के बावजूद रद्द कर दिया था। इन तीनों महाविद्यालयों को मैं पुनः प्रारम्भ करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही, राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा-सिरोही, राजकीय महाविद्यालय पहाड़ी-भरतपुर, राजकीय महाविद्यालय बानसूर-अलवर, राजकीय महाविद्यालय श्रीडूंगरगढ़, राजकीय महाविद्यालय भादरा एवं राजकीय महाविद्यालय रायपुर-पाली सहित भवन विहीन 18 राजकीय महाविद्यालयों में भवन निर्माण कराया जायेगा।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:

132. राज्य में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार नीति लागू की जायेगी।

कौशल एवं रोजगार:

133. ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार मगर हुनरमंद युवा पूंजी के अभाव में स्वयं का काम शुरू नहीं कर पाते। 'हुनर का हर हाथ, रहे रोजगार के साथ' इस सोच के साथ मैं, 'मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना' की घोषणा करता हूँ। योजना में एक लाख युवाओं को ₹1 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। इसमें RIICO, RFC, SCST/OBC/Minorities Finance Corporation के माध्यम से आगामी 5 वर्षों में कुल ₹1 हजार करोड़ के ऋण वितरित किये जायेंगे। योजना के तहत इस वर्ष 25 हजार युवाओं को लाभान्वित किया जायेगा।

134. हमारी सरकार की प्राथमिकता युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को कारगर तरीके से दूर करना है। इस दृष्टि से प्रदेश में इस वर्ष विभिन्न विभागों द्वारा लगभग 75 हजार पदों पर भर्तियां की जायेंगी।

क्र.सं.	विभाग का नाम	कुल पद
1	Revenue	4646
2	Agriculture	4000
3	Education	21600
4	Cooperative	750
5	DoIT	800
6	Medical	15000
7	Higher Education	1000
8	Skill and Employment	1500
9	Forest	1474
10	Home	4000
11	Energy	9000
12	PHED	1400
13	PWD (J.En. के 200 पद सहित)	1341
14	WRD	2000
15	RDPR (ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज)	5160
16	Transport	104
17	Social Justice and Empowerment	250
18	Women Empowerment	300
19	Medical Education	269

युवा मामले एवं खेल:

135. उम्मेद स्टेडियम, जोधपुर में दर्शकों की सुविधा के लिए शेड निर्माण करवाने हेतु ₹2 करोड़ प्रस्तावित हैं।

136. राज्य के युवा बधाई के पात्र हैं क्योंकि अब ये युवा देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में भी अग्रणी रहने लगे हैं। युवाओं को सही दिशा दिखाने, निरन्तर नया करने की प्रेरणा देने एवं बड़ी सोच रखने के लिए 'Youth Motivation Programme' चलाया जायेगा।

137. प्रदेश के अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को वित्तीय सम्बल देने के लिए हम एक नवीन पेंशन योजना लायेंगे। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक पाने

वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए नवीन छात्रवृत्ति योजना लायी जायेगी। राज्य में खेल प्रशिक्षकों की कमी को देखते हुए खेल प्रशिक्षकों की सेवायें लेने के लिए विभाग हेतु ₹ 5 करोड़ का प्रावधान स्वीकृत किया जायेगा।

138. राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ-साथ निजी क्षेत्र का सक्रिय जुड़ाव भी आवश्यक है। इस हेतु हम 'एक उद्यमी-एक खेल योजना' लायेंगे, जिसमें कोई औद्योगिक घराना एक खेल को गोद लेकर राज्य में उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधायें विकसित करेगा।

139. ऐशियन गेम्स, नेशनल गेम्स (राष्ट्रीय खेल) की तर्ज पर मैं राजस्थान में राज्य खेल प्रारंभ करने की घोषणा करता हूँ।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार:

140. आज के सूचना-प्रधान युग में E-Governance के बिना Good Governance सम्भव नहीं है। राज्य में ई-मित्र केन्द्र के साथ-साथ स्टेट डाटा सेंटर एवं राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क शुरू हो चुके हैं। इनकी सफलता के चलते आज राजस्थान पूरे देश में ई-गवर्नन्स के क्षेत्र में अग्रणी है। जन घोषणा पत्र में लिए गए संकल्प के अनुरूप राजस्थान में IT एवं E-Governance को और प्रभावी बनाया जायेगा।

141. विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 'एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान' की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मैं 'राजस्थान जन-आधार योजना' लाये जाने की घोषणा करता हूँ। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एक

स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन किया जायेगा। ई-मित्र परियोजना को भी इस प्राधिकरण के अधीन लाया जायेगा।

142. किसानों के लिए एक online integrated platform तैयार करवाया जायेगा, जिसमें कृषि, विपणन, पशुपालन, डेयरी, horticulture आदि की गतिविधियों को एक जगह शामिल किया जायेगा।

143. इस वर्ष 1 हजार से अधिक आबादी के समस्त राजस्व गाँवों में 6 हजार नये ई-मित्र केन्द्र खोले जायेंगे। साथ ही, सभी 33 जिला, 331 तहसील एवं 180 उप तहसील मुख्यालयों पर ई-मित्र प्लस मशीनों की स्थापना कार्यालय परिसर में की जायेगी। जिससे भविष्य में सरकार की विभिन्न सेवायें सुलभता से उपलब्ध हों सकेंगी।

144. हम राज्य के गाँवों में घरों तक फाइबर टू होम के माध्यम से उच्च गति की इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवायेंगे, जिससे विश्वस्तरीय टेलीफोन, वीडियो एवं डाटा सेवाएँ मिलेंगी।

145. आमजन की सुरक्षा हेतु समस्त जिला मुख्यालयों पर अभय command & control centres स्थापित किये जा रहे हैं। इनमें कैमरों की संख्या 3 हजार 500 से बढ़ाकर 10 हजार की जायेगी। आपदा प्रबन्धन को प्रभावी बनाने के लिए अति आवश्यक सेवाओं जैसे फायर बिग्रेड एवं एम्बूलेंस को भी इन सेंटर्स से जोड़ा जायेगा।

वन एवं पर्यावरण:

146. रणथम्भोर नेशनल पार्क देश-विदेश के वन्यजीव प्रेमियों में काफी लोकप्रिय है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पर राजस्थान को पहचान

मिली है। टाइगर के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस दिशा में हम विशेष प्रयास करेंगे।

147. गोडावण प्रदेश का राज्य पक्षी है। दुनिया में इस प्रजाति की संख्या अब 200 से भी कम रह गयी है, जिसमें से अधिकतर राजस्थान में ही हैं। अतः गोडावण के प्रभावी संरक्षण हेतु योजना बनायी जायेगी। साथ ही, इनकी artificial hatching हेतु भी प्रयास प्रारम्भ किये गये हैं।

148. Climate Change को लेकर आज सारा संसार चिंतित है। प्रदेश के नागरिकों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना मेरी प्राथमिकता है। अतः मैं पर्यावरण विभाग का पुनर्गठन कर 'पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय' के गठन की घोषणा करता हूँ। हम एक नई जलवायु परिवर्तन नीति भी लायेंगे।

पर्यटन:

149. राजस्थान के लिए बड़े गर्व की बात है कि सरकार के प्रयासों से हाल ही में जयपुर के चारदीवारी इलाके (परकोटे) को यूनेस्को की वर्ल्ड हैरिटेज सूची में शामिल किया गया है। जयपुरवासी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इसी कड़ी में एक हैरिटेज वॉक प्रारम्भ करने के लिए एक व्हीकल फ्री जोन को चिन्हित किया जायेगा, जिससे पर्यटक आकर्षित होंगे और व्यापारियों को भी फायदा होगा।

150. ऐतिहासिक किले लोहागढ़-भरतपुर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए वहां light and sound show प्रारंभ किया जायेगा। जिस पर कुल ₹ 2 करोड़ 50 लाख का व्यय होगा।

151. राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर में उपलब्ध राजस्थानी भाषा के अभिलेखों के हिन्दी भाषा में अनुवाद के लिए सॉफ्टवेयर एवं राजस्थानी भाषा को सिखाने हेतु एक एप बनवाया जायेगा।

कला एवं संस्कृति:

152. प्रदेश में बाल-साहित्य संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और बाल-साहित्य रचनाकारों के सहयोग के लिए मैं 'पंडित जवाहर लाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी' के गठन की घोषणा करता हूँ।

153. मैं सवाई मानसिंह टाउन हाल (पुरानी विधानसभा), जयपुर में एक विश्वस्तरीय 'राजस्थान धरोहर संग्रहालय' बनाये जाने की घोषणा करता हूँ, जो कि जयपुर के पर्यटन मानचित्र पर एक नये अक्स के रूप में उभरेगा।

154. प्रदेश की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण एवं उचित सार-संभाल के लिए तीन वर्षीय कार्ययोजना बनाकर इस वर्ष ₹22 करोड़ के कार्य करवाये जायेंगे। इस कार्य के लिए फलोदी फोर्ट—जोधपुर, शिव मंदिर—ओसिया (जोधपुर), किला—फतेहगढ़ (अजमेर), तालाब—ए—शाही, बाड़ी (धौलपुर), डीग किला— भरतपुर, प्राचीन मंदिर—खाबा (जैसलमेर), शेरगढ़ किला, अटरू (बारां), शाहबाद किला—बारां एवं सज्जनगढ़ किला—उदयपुर आदि स्मारकों का चयन किया गया है।

155. राजस्थान के साहित्यकारों, कवियों, लेखकों, चिन्तकों, कलाविदों आदि को एक मंच उपलब्ध कराने के लिए हम जयपुर में 'राजस्थानी लिटरेचर फेस्टिवल' का आयोजन करेंगे। इस हेतु एक स्थायी आयोजन समिति का गठन किया जायेगा। इस वर्ष इस हेतु 2 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

देवस्थान:

156. देवस्थान मंदिरों में चढ़ावों एवं संपत्तियों का रिकार्ड अत्यधिक पुराना है एवं इसके ठीक रखरखाव का अभाव है। मंदिरों की संपदा के रिकार्ड का डिजिटাইजेशन कर उसे LRC (जमाबंदी) से लिंक किया जायेगा।

157. हमने अपने पिछले कार्यकाल में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना शुरू की थी, जो बहुत पॉपुलर हुई थी। अब उसका विस्तार करते हुए हम काठमांडू (नेपाल) स्थित पशुपतिनाथ मंदिर को भी इसमें शामिल करने जा रहे हैं। साथ ही, राज्य के बीपीएल कार्डधारकों को देवस्थान विभाग की राज्य से बाहर अवस्थित सभी धर्मशालाओं में निःशुल्क ठहरने की सुविधा प्रदान की जायेगी।

गृह:

158. पुलिस थानों को public friendly बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक स्वागत कक्ष बनाया जायेगा, जहाँ फरियादी बिना संकोच एवं भय के अपना परिवाद दर्ज करा सकेंगे। थानों में पारदर्शिता लाने बाबत आगामी 2 वर्षों में प्रत्येक थाने में CCTV लगाया जायेगा।

159. Emergency Response Support System (ERSS) को राज्य में चरणबद्ध रूप से लागू किया जायेगा, जिसके तहत आपातकालीन स्थिति में 112 नम्बर डायल करने पर एक निश्चित अल्प अवधि में मोबाईल पुलिस यूनिट घटनास्थल पर पहुँच सके। इस वर्ष पायलट बेसिस पर इसको 2 जिलों—अलवर एवं भरतपुर में प्रारम्भ किया जायेगा।

160. आजकल संगठित अपराध भी नये-नये किस्म के होने लगे हैं, जिनसे निपटना आवश्यक है। अतः SOG में 2 specialised अनुसंधान

इकाइयाँ सृजित की जायेगी। जिसमें आर्थिक अपराधों के लिए—Serious Fraud Investigation Unit (SFIU) एवं इन्टरनेट सम्बन्धी अपराधों के लिए—Cyber Crime Investigation Unit (CCIU) होंगी।

161. बंदियों को जेल में सुरक्षित माहौल, मूलभूत सुविधाएं, अनुशासन एवं सुधारने के लिए आवश्यक माहौल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में एक हाईपावर कमेटी बनायी जायेगी, जो जेल गृहों में सुधार पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी।

न्याय प्रशासन:

162. वर्ष 2019–20 में प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों यथा—पोस्को कोर्ट, फैमिली कोर्ट, एडीजे कोर्ट, एससी एण्ड एसटी कोर्ट आदि 86 नवीन कोर्ट खोले जायेंगे।

राजस्व एवं सैनिक कल्याण:

163. भू-अभिलेख संधारण को सरलीकृत, स्वचालित एवं कागज-रहित बनाने में सरकार ने अहम कदम उठाये हैं। शेष रही 207 तहसीलों के राजस्व अभिलेख भी ऑनलाईन किये जायेंगे।

164. ऑनलाईन तहसीलों में विधिक रूप में मान्य digital sign वाली जमाबंदी, नक्शे एवं गिरदावरी की नकल हेतु शुल्क देकर ई-मित्र, मोबाईल एवं ऑनलाईन प्राप्त कर सकते हैं। आगे से नामान्तरण की प्रमाणित प्रति भी ऑनलाईन उपलब्ध करवायी जायेगी।

165. नामान्तरण की संपूर्ण प्रक्रिया को कागज-रहित व ऑनलाईन किया जायेगा जिससे कोई भी काश्तकार स्वयं ई-मित्र अथवा मोबाईल ऐप के

माध्यम से आवेदन कर नामान्तरण क्रमांक प्राप्त कर सकेगा एवं अपने आवेदन के स्टेटस का भी पता कर सकेगा। साथ ही, कृषि भूमि की रजिस्ट्री होने पर नामान्तरण स्वतः ही स्वचालित रूप में बिना किसी अतिरिक्त आवेदन के खुलेगा।

166. जयपुर की शाहपुरा तहसील में नवाचार करते हुए समस्त पुरानी जमाबंदियों, मिसल-बंदोबस्त एवं नामान्तरण पुस्तिकाओं को स्कैन कर एक वेब-पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। इसी क्रम में राज्य की समस्त तहसीलों में भी पुराने अभिलेखों को स्कैन कर आगामी 3 वर्षों में आनलाईन उपलब्ध करवाया जायेगा।

167. राज्य के 11 जिलों में सर्वे-रीसर्वे का कार्य चल रहा है, जिसके तहत सेटेलाइट इमेज के माध्यम से आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए गांवों के नये अभिलेख तैयार किये जा रहे हैं, जिससे मौके एवं अभिलेख में एकरूपता हो। इस कार्य को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जायेगा।

168. जन घोषणा पत्र के अनुरूप राजस्व कानूनों के सरलीकरण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में नये conversion नियम बनाये जायेंगे। जिसमें पंजीकृत no loss no profit पर कार्य करने वाली उन संस्थाओं का conversion निःशुल्क किया जायेगा, जो कि धार्मिक व चेरीटेबल उद्देश्यों जैसे समाज सेवा, शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि हेतु कार्यरत हैं। विविध उपयोगों हेतु भूमि आवंटन के लिए बने अलग-अलग नियमों को भी समेकित किया जायेगा।

169. राजस्व न्यायालयों में बड़ी तादाद में लंबित (3 लाख 50 हजार) प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु राजस्व कानून में संशोधन कर प्रक्रिया को

सरल बनाया जायेगा। जिला कलक्टर का अपीलीय अधिकारी, राजस्व अपील अधिकारी के स्थान पर संबंधित संभागीय आयुक्त को किया जायेगा।

170. मैं, शौर्य पदक विजेता और शहीद के आश्रितों को भूमि आवंटन के संबंध में समान व्यवस्था करते हुए 1 अगस्त, 2019 से 25 बीघा भूमि या ₹25 लाख दिए जाने की घोषणा करता हूँ।

171. जिला कलक्टर के अधीन प्रत्येक जिले में ₹1 करोड़ की 'मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि' बनायी जायेगी। जिसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किये जायेंगे।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति:

172. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का इस वर्ष का प्रावधान गत वर्ष की तुलना में 58 प्रतिशत बढ़ाकर ₹650 करोड़ रखा जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पीडीएस को प्रभावी करने के लिये सरकार द्वारा विशेष योजना बनायी जायेगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से खाद्य सामग्री की आपूर्ति निश्चित समयावधि में बिना परेशानी के बीपीएल उपभोक्ताओं तक की जा सकेगी।

सहायता, आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा:

173. सचिवालय परिसर-जयपुर में ₹15 करोड़ की लागत से राज्य स्तरीय 'राज्य आपात परिचालन केन्द्र' (State Emergency Operation Centre) की स्थापना की जायेगी। यह 24 घंटे कार्यरत रहेगा।

174. राज्य के दूर-दराज के क्षेत्रों में होने वाली आगजनी की घटनाओं को देखते हुए वर्ष 2019-20 में 100 अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस पर लगभग ₹26 करोड़ का व्यय होगा।

सामान्य प्रशासन एवं प्रशासनिक सुधार:

175. प्रदेश के समस्त स्वतंत्रता सेनानियों को राज्य स्थित 34 सर्किट हाउसेज एवं राजस्थान हाऊस में ठहरने की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।

176. प्रदेश के पूर्व विधायकों एवं बोर्ड/कॉर्पोरेशन/अकादमियों/आयोगों के अध्यक्ष रहे व्यक्तियों (जिन्हें मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त था) को सर्किट हाऊसेज, डाक बंगलों एवं राजस्थान हाऊस में ठहरने की सुविधा नियमानुसार उपलब्ध करवायी जायेगी।

177. प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मुंबई जाने वाले राज्य के परीक्षार्थियों को राजस्थान भवन, वाशी-नवी मुंबई में रियायती दरों पर आवास सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।

178. राजकीय हवाई पट्टियां 24 घंटे काम में ली जा सके, इसके लिए चूरू जिले में पडिहारा, बांसवाड़ा जिले में तलवाड़ा एवं झुंझुनूं तथा सिरौही की हवाई पट्टियों का अपग्रेडेशन करवाया जायेगा। भिवाड़ी के पास स्थित कोटकासिम हवाई पट्टी को विकसित किया जायेगा।

179. राज्य सेवा के अधिकारियों हेतु नियमित अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था लागू की जायेगी, जिसमें प्रत्येक लोक सेवक द्वारा अपने सम्पूर्ण सेवा काल में कम से कम तीन बार प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकेगा।

180. हमारी सरकार zero discretion, zero corruption तथा zero harassment की नीति के आधार पर काम करेगी। लोक सेवकों की जवाबदेही

के लिए 'सार्वजनिक जवाबदेही कानून' लाया जायेगा, जो समस्त विभागों, प्राधिकरणों व निगमों पर लागू होगा।

पत्रकार कल्याण:

181. हमारे पिछले कार्यकाल में घोषित राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार पेंशन (सम्मान) योजना को पुनः प्रारंभ किया जायेगा। उसी तरह पत्रकार, साहित्यकार एवं कलाकार कोष में ₹2 करोड़ की राशि उपलब्ध करवायी जायेगी।

182. राज्य भर में पत्रकारों, साहित्यकारों एवं लेखकों को स्थानीय निकायों के माध्यम से रिहायशी कोलोनी में भूखंड आवंटन किया जायेगा।

183. राज्य के अधिवक्ताओं द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार के समक्ष उठाये गये मुद्दों का परीक्षण कर अपनी सिफारिश देने के लिए मंत्रियों की उच्च स्तरीय समिति गठित की जायेगी।

कर्मचारी कल्याण:

184. कर्मचारी किसी भी शासन व्यवस्था की धुरी हैं। पिछली सरकार ने आधे-अधूरे मन से कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया। वेतन-भत्तों की विसंगतियों एवं कर्मचारियों की मांगों पर गत सरकार का रवैया उपेक्षापूर्ण रहा। हमने सदैव कर्मचारी हित में बड़े फैसले लिए हैं। हम वेतन विसंगति समिति की सिफारिशों पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

185. सरकारी नौकरी में प्रोबेशनर ट्रेनी के असाधारण अवकाश की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए पूर्ण शक्तियां संबंधित प्रशासनिक विभाग को प्रदत्त की जायेगी।

186. अधिकारियों/कर्मचारियों को राहत देते हुए नियम 17 सीसीए के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रकरणों के अन्तिम निस्तारण हेतु राजस्थान रूल्स ऑफ बिजिनेस की वर्तमान व्यवस्था को संशोधित करके विकेंद्रित करने की कार्यवाही की जायेगी।

187. जन घोषणा पत्र के अनुरूप सरकार द्वारा संविदा कर्मियों के कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों का कारगर निवारण करने के उद्देश्य से मंत्रियों की एक उच्चस्तरीय कमेटी श्री बुलाकीदास जी कल्ला की अध्यक्षता में गठित की गई है। मेरी सरकार पूरी संवेदनशीलता से समाधान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

188. शासन सचिवालय, जयपुर में ग्रामीण एवं दूरदराज से आने वाले आगंतुकों की सुविधा हेतु वर्तमान स्वागत कक्ष का पुनरुद्धार कर अत्याधुनिक सुविधायुक्त प्रतीक्षालय बनाया जायेगा। साथ ही, सचिवालय के पश्चिमी प्रवेश द्वार को सुरक्षित एवं व्यवस्थित किया जायेगा।

189. राज्य सरकार ने प्रदेश में Economic Transformation Council के गठन का निर्णय लिया है। यह council प्रदेश के आर्थिक-वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक-टैंक के रूप में कार्य करेगी। इस कार्य में हम केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठित संस्थान National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP) का सहयोग ले रहे हैं।

190. हमारे कार्यकाल का यह प्रथम वर्ष है। इस बजट के माध्यम से हमने राज्य के आगामी पाँच वर्षों के समग्र विकास का ताना-बाना बुनते हुए एक मजबूत राजस्थान की ओर अग्रसर होने का लक्ष्य रखा है।

191. प्रदेश की जनता को हमसे कितनी उम्मीदें हैं, इसका हमें पूरा एहसास है। सार्वजनिक जीवन में श्रेष्ठ आचरण के मापदण्ड क्या हों, इस पर जब भी मैं विचार करता हूँ तो मुझे महात्मा गांधी के बताये सात बिन्दू याद आते हैं, जो कि seven sins के रूप में जाने जाते हैं:—

श्रम विहीन संपत्ति

विवेक विहीन भोगविलास

चरित्र विहीन शिक्षा

नैतिकता विहीन व्यापार

मानवीयता विहीन विज्ञान

त्याग विहीन पूजा

सिद्धांत विहीन राजनीति

Wealth without work

Pleasure without conscience (कनसाईन्स)

Knowledge without character

Commerce without morality

Science without humanity

Religion without sacrifice

Politics without principle

192. गांधी जी के आदर्शों को आत्मसात करते हुए मैं, माननीय सदन के समक्ष यह बात रखना चाहता हूँ कि हम सभी सेवा के इस जज्बे को राज्य के विकास को एक नयी उड़ान देने के लिए समर्पित करें। उड़ान की इस अभिलाषा को मैं यूनं अभिव्यक्त करना चाहता हूँ —

उड़ने के लिए पंख ही नहीं,

जज्बा जरूरी है,

विकास के लिए साधन ही नहीं,

हिम्मत और विश्वास भी जरूरी हैं।

कर प्रस्ताव

193. अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं कर प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग :

194. देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों के सम्मान में उनके आश्रित पत्नी, पुत्र, पुत्री, माता या पिता के पक्ष में राज्य सरकार या निजी संस्था या व्यक्ति द्वारा आवंटित/हस्तान्तरित आवासीय भूखण्ड/भवन के दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की सम्पूर्ण छूट देने की घोषणा करता हूँ।

195. मैं, माता-पिता एवं संतान के बीच में होने वाले पैतृक सम्पत्ति के पारिवारिक समझौते (Family Settlement) एवं सह-स्वामित्व की पैतृक सम्पत्ति के बटवारे के दस्तावेजों पर देय 1.5 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी को पूर्णतया माफ करने की घोषणा करता हूँ।

196. राजस्थान स्टार्ट-अप पॉलिसी, 2015 के तहत पात्र व्यक्तियों द्वारा स्टार्ट-अप स्थापित करने के लिये होने वाले 10 लाख रुपये तक के ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी को समाप्त करने की घोषणा करता हूँ।

197. वर्षों से लम्बित मुद्रांक प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करने और आम जनता को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से बकाया स्टाम्प

ड्यूटी जमा कराने पर उस पर देय ब्याज एवं पैनल्टी में शत-प्रतिशत छूट के लिए **एमनेस्टी योजना** जारी करने की घोषणा करता हूँ।

198. राजस्थान राज्य में स्थित सम्पत्तियों के सम्बन्ध में राज्य के बाहर निष्पादित होने वाले दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की अपवंचना रोकने के लिए मैं राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 3 में संशोधन का प्रस्ताव करता हूँ।

199. स्टाम्प रिफण्ड की प्रक्रिया को सरल करते हुए कम्पनियों/निगमों द्वारा प्रिन्टेड दस्तावेजों पर प्रयोग में लिए गए स्टाम्प पत्रों के रिफण्ड की शक्तियां राजस्थान टैक्स बोर्ड के स्थान पर कलक्टर (मुद्रांक) को दी जानी प्रस्तावित है।

200. कम्पनियों के अमलगमेशन (Amalgamation) एवं डिमर्जर (Demerger) के आदेशों पर स्टाम्प ड्यूटी की 25 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा को समाप्त किया जाना प्रस्तावित करता हूँ।

201. ऋण दस्तावेज, जिनमें सम्पत्ति का कब्जा नहीं लिया गया है, पर स्टाम्प ड्यूटी की दर को 0.15 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.25 प्रतिशत करना तथा इसकी अधिकतम सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया जाना प्रस्तावित करता हूँ।

202. संकर्म संविदा (Works Contract) पर स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये को हटाने का प्रस्ताव करता हूँ।

वाणिज्यिक कर विभाग :

203. GST लागू होने पर कतिपय अधिनियम समाहित हो जाने के कारण बकाया रही मांगों के संबंध में व्यवहारियों को राहत दिये जाने में

कठिनाई आ रही है। अतः राज्य के करदाताओं को बकाया मांगों में राहत देने के लिये सरकार **एमनेस्टी योजना** लाकर ब्याज, शास्ति एवं विलम्ब शुल्क से छूट देने की मंशा रखती है। इस हेतु राजस्थान GST Act में संशोधन कर नवीन प्रावधान जोड़े जाने प्रस्तावित है। इसके तहत –

- अवार्डर्स द्वारा ठेकेदारों से TDS कटौती करने का प्रमाण-पत्र Form VAT-41 जारी करने का प्रावधान किया जायेगा, जिससे अवार्डर्स द्वारा जमा कराये गये TDS का समायोजन का लाभ ठेकेदारों को मिल पायेगा।
- बिल्डर्स व डवलपर्स द्वारा Lumpsum भुगतान संबंधी विकल्प समय पर नहीं देने से मांग सृजित हुई है, VAT-69 के लिये विकल्प अवधि बढ़ाने पर मांग राशि में राहत दी जा सकेगी।
- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 2 की उप-धारा 36 में बिक्री की परिभाषा को संशोधित कर सुस्पष्ट किया जायेगा।

204. पंजीकृत व्यापारियों के विरुद्ध Input Tax Credit-Mismatch से संबंधित मांग राशि अत्यधिक मात्रा में लम्बित हैं जिसके निवारण के लिये ITC Match-Mismatch की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाकर एक अभियान के तहत सत्यापन कर मांगों को कम किया जाना प्रस्तावित है।

205. Renewable Energy पर विद्युत शुल्क की छूट दिनांक 31.03.2018 तक थी। जिसे पूर्ववर्ती सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया था।

मैं, सौर उर्जा को प्रोत्साहन देने के लिये, विद्युत शुल्क की छूट को दिनांक 01.04.2018 से 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाना प्रस्तावित करता हूँ।

206. करदाताओं की सुविधा के लिये सरकार द्वारा GST Appellate Tribunal की बेंच जयपुर एवं जोधपुर में रखे जाने की सिफारिश किया जाना प्रस्तावित है।

207. केप्टिव पॉवर प्लांट्स पर विद्युत शुल्क की दर 0.40 रुपये से बढ़ाकर 1.00 रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

208. राज्य में प्राकृतिक गैस पर VAT की दर अन्य राज्यों की तुलना में कम है जिसे 5.5 प्रतिशत से बढ़ा कर 10 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

209. मेरी पिछली सरकार में वर्ष 2011 में 'व्यवहारी सम्मान योजना' लायी गयी थी। पूर्ववर्ती सरकार ने इस योजना को बन्द कर दिया था। व्यवहारियों एवं सेवा प्रदाताओं को पहचान दिलाने के लिये मैं, 'व्यवहारी एवं सेवा प्रदाता सम्मान योजना' पुनः प्रारम्भ किये जाने की घोषणा करता हूँ।

उद्योग विभाग :

210. दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर परियोजना में जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को दूसरे सेन्टर (Node) के रूप में विकसित किये जाने हेतु इस क्षेत्र को "विशेष निवेश क्षेत्र" (Special Investment Region) घोषित किया जायेगा तथा इसके विकास, प्रबंधन एवं विनियमन के लिये एक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन किया जायेगा।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 (RIPS- 2019) :

211. राज्य में औद्योगिक वातावरण को उद्यमी फ्रेडली बनाने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 (RIPS-2019) तैयार की जा रही है। जिसमें निवेश एवं रोजगार के लिये 7 वर्षों के लिए, देय एवं जमा राज्य की GST का 100 प्रतिशत तक पुनर्भरण किया जायेगा। संगठित क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता के द्वारा कर्मचारियों के लिये अदा ईपीएफ अंशदान का पुरुषों के लिये 50 प्रतिशत तथा महिलाओं के लिये 75 प्रतिशत, तक अंशदान का पुनर्भरण एवं नये निवेश पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टॉम्प ड्यूटी व मण्डी शुल्क में 100 प्रतिशत तक रियायत दिया जाना प्रस्तावित करता हूँ।

परिवहन विभाग :

212. राज्य में मोटरवाहन करों के सरलीकरण एवं इनके कम्प्यूटरीकरण करने के उद्देश्य से भार वाहनों के लिये सकल वाहन भार (Gross Vehicle Weight) आधारित, संविदा बसों के लिये बैठक क्षमता आधारित तथा स्टैज कैरिज बसों के लिये बैठक क्षमता एवं प्रतिदिन संचालन आधारित मोटर वाहन टैक्स आरोपित किया जाना प्रस्तावित है।

213. प्रदेश में परिवहन वाहनों पर प्रचलित पथकर एवं विशेष पथकर का एकीकरण (Unification) किया जाकर, 'मोटर वाहन कर' के रूप में प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इससे वाहन मालिकों को समझने में आसानी होगी तथा कर गणना की जटिलतायें समाप्त होंगी।

214. एकबारीय कर (One Time Tax) व एकमुश्त कर (Lump Sum Tax) एक ही प्रकृति के हैं। इसलिये वाहन मालिकों की सुविधा के लिये इन करों का सरलीकरण करते हुए एकबारीय कर का प्रावधान करना प्रस्तावित करता हूँ।

215. राज्य में पंजीकृत होने वाले औसतन 50,000 रुपये मूल्य के 200 सीसी इंजन क्षमता तक के दुपहिया यानों (Two Wheelers) पर लागत का 8 प्रतिशत। औसतन रुपये 1.5 लाख मूल्य के Two Wheelers जो कि 200 सीसी से 500 सीसी तक के यानों पर कीमत का 13 प्रतिशत। औसतन 5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक मूल्य की 500 सीसी से अधिक क्षमता के Two Wheelers पर कीमत का 15 प्रतिशत एक बारीय कर आरोपित किया जाना प्रस्तावित करता हूँ।

216. चार पहिया 10 सीट बैठक क्षमता वाले गैर परिवहन यान के लिये देय एकबारीय कर की दरों में वाहन की कीमत का 2 प्रतिशत वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

217. पर्यावरण संरक्षण करने एवं वाहन जनित वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भारी व्यावसायिक वाहनों पर लगने वाले ग्रीन टैक्स की प्रतिवर्ष देय राशि को फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करते समय दो वर्ष के लिये लिया जाना प्रस्तावित करता हूँ।

218. राज्य में LPG/CNG से संचालित गैर परिवहन एवं परिवहन श्रेणी के वाहनों पर देय एकबारीय कर की राशि में छूट को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित करता हूँ।

आबकारी विभाग :

219. मदिरा के अवैध व्यवसाय में शामिल परिवारों को मुख्यधारा में लाने एवं उनके कल्याण के लिये मैंने मेरी पिछली सरकार में 'नवजीवन योजना' प्रारम्भ की थी। इस योजना को और आगे बढ़ाने के लिये 10 करोड़ रुपये का प्रावधान करता हूँ। जिससे अधिक से अधिक परिवारों को लाभान्वित किया जा सकेगा।

स्थानीय निकाय/नगरीय विकास एवं आवासन विभाग :

220. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती के ऐतिहासिक अवसर पर सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में अग्रणी एवं अलाभकारी पंजीकृत चेरिटेबल संस्थाओं को राज्य के नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में लोक उपयोगी सुविधाओं यथा चिकित्सा सुविधायें, शैक्षणिक सुविधायें, वृद्धाश्रम, अनाथालय, नारी निकेतन, कुष्ठ आश्रम, धर्मशाला, निःशक्तजन केन्द्र, नशामुक्ति केन्द्र, कन्या आश्रम, बाल गृह आदि के विकास को प्रोत्साहित किये जाने की दिशा में इन संस्थाओं को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ नियमन हेतु निर्धारित प्रीमियम दरों, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दिये जाने की घोषणा करता हूँ।

221. आमजन को राहत देने के उद्देश्य से नगरीय निकायों (Urban Local Bodies)/नगर विकास न्यासों (UIT's)/राजस्थान आवासन मण्डल (Housing Board)/जयपुर, जोधपुर तथा अजमेर विकास प्राधिकरण (Development Authorities) की बकाया लीज राशि

दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक एकमुश्त जमा कराये जाने पर ब्याज राशि में शत-प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

222. विकास प्राधिकरणों/नगर विकास न्यासों/राजस्थान आवास मण्डल द्वारा दिनांक 01.01.2001 से आवंटित EWS/LIG आवासों की बकाया किश्तों की राशि आवंटियों द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक एकमुश्त जमा करने पर ब्याज एवं शास्ति में शत-प्रतिशत की छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

जल संसाधन विभाग :

223. राज्य के किसानों को राहत प्रदान करने के लिए 31 मार्च, 2019 तक की बकाया सिंचाई कर की राशि 31 दिसम्बर, 2019 तक एकमुश्त जमा कराये जाने पर ब्याज में शत प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान कृषि विपणन विभाग :

224. राज्य की मण्डियों में फल एवं सब्जी के क्रय पर वर्तमान में 1.50 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से उपयोक्ता प्रभार (User Charge) कृषि उपज मण्डी द्वारा संग्रहित किया जाता है। राज्य सरकार किसान व व्यापारी हितैषी होने के नाते मैं यूजर चार्ज (User charge) को सम्पूर्ण रूप से समाप्त किये जाने की घोषणा करता हूँ।

खान विभाग :

225. खान विभाग में डेडरेंट, रॉयल्टी, शास्ति, रॉयल्टी वसूली ठेकों, अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण, अल्पावधि अनुमति पत्र तथा

निर्माण विभाग के ठेकेदारों की काफी राशि बकाया है। इसमें राहत देने हेतु एमनेस्टी स्कीम लाये जाने की घोषणा करता हूँ।

226. परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर "वाहन" तथा खान एवं भू-विज्ञान विभाग के सॉफ्टवेयर "ई-रवन्ना" को एकीकृत किया जायेगा। जिससे पारदर्शिता आयेगी, राज्य सरकार की राजस्व की हानि को रोका जा सकेगा तथा ओवरलोडिंग रोके जाने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आयेगी।

227. इस प्रकार कर प्रस्तावों में मेरे द्वारा कोई नया कर नहीं लगाया गया है तथा कर प्रस्तावों से लगभग 301 करोड़ रुपये की राहत दी गई है।

228. इन कर प्रस्तावों के अतिरिक्त कुछ अधिनियमों के प्रावधानों में भी संशोधन प्रस्तावित हैं। इन संशोधनों के संबंध में विस्तृत उद्देश्य और प्रयोजन वित्त विधेयक में वर्णित हैं।

229. प्रस्तुत कर प्रस्तावों और घोषणाओं की क्रियान्विति के लिये तथा अन्य प्रयोजनार्थ भी अलग से अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं।

परिवर्तित बजट अनुमान वर्ष 2019–20 :

230. अब मैं, वर्ष 2019–20 के परिवर्तित बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

231. वर्ष 2019–20 के परिवर्तित बजट अनुमानों में ₹2 लाख 32 हजार 944 करोड़ 1 लाख का कुल व्यय अनुमानित है। इस बजट में राजस्व व्यय ₹1 लाख 91 हजार 19 करोड़ 61 लाख और राजस्व प्राप्तियां ₹1 लाख 64 हजार 4 करोड़ 64 लाख अनुमानित की गई है। इस प्रकार ₹27 हजार 14 करोड़ 97 लाख का राजस्व घाटा अनुमानित है।

232. राज्य के परिवर्तित बजट में राजकोषीय घाटा ₹32 हजार 678 करोड़ 34 लाख होना अनुमानित है जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) का 3.19 प्रतिशत रहना संभावित है। परिवर्तित बजट अनुमानों में कुल ऋण एवं अन्य दायित्व, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 33.13 प्रतिशत रहना अनुमानित है।

233. FRBM Act की धारा 5 के अंतर्गत वार्षिक बजट के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले 'मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण' और 'राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण' भी सदन में प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

234. वर्ष 2019–20 का परिवर्तित वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है और अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं।

235. मैं, इन्हीं भावनाओं के साथ बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की संस्तुति करते हुए, माननीय सदन के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूँ।